संख्या– 562 –प0अ0/2004– 257 पर्य0/2003

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून दिनांक 20 मार्च, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2003–04 के अन्तर्गत वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु प्रथम अनुदान की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत रू0 1.00 करोड़(रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु पर्यटन निदेशालय के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

5– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

7–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –3452–पर्यटन –80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–07–ऋण उपादान/स्वरोजगार योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

8– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 3238 /वित्त अनु0–3/2003, दिनांक 20 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या– –प0310/2004–257 पर्य0/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल ।
4– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल।
5– समस्त जिलाधिकारी, कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल ।
6– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल ।
7– श्री एल0एम0पन्त,अपर सचिव उत्तरांचल शासन।
8– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
9– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर ।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव